



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25072024-255719
CG-DL-E-25072024-255719

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2793]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 24, 2024/श्रावण 2, 1946

No. 2793]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 24, 2024/SHRAVANA 2, 1946

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 24 जुलाई, 2024

का.आ. 2930(अ.).—केंद्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम १९५६ (१९५६ का ४८) की धारा ३ के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद द्वारा भारत के राजपत्र असाधारण भाग II खंड ३ उपखण्ड (ii) में भारत सरकार, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा का.आ.५२१८ (अ) के अंतर्गत दिनांक ८/१२/२०२३ को प्रकाशित अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है!

अर्थात्

अनुसूची के स्तंभ २ (सक्षम प्राधिकारी) में "सक्षम प्राधिकारी, भूमि अधिग्रहण भा.रा.रा.प्रा., री भोई जिला" के स्थान पर "अतिरिक्त उपायुक्त, री भोई जिला, नोंगपोह" पढ़ा जाए।

[फा. सं. Bhooirashi/RiBhoi/001]

अभय जैन, उप-सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**CORRIGENDUM**

New Delhi, the 24th July, 2024

S.O. 2930(E).—In exercise of powers conferred by clause (a) of Section 3 of the National Highways Act-1956 (48 of 1956), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O 5218 (E) Dated 8/12/2023 Published in the Gazette of India Extraordinary part II, section 3 ,Sub section (ii).

In other words :

In column 2 (Competent Authority) of the schedule, instead of “CALA,NHAI,Ri-Bhoi District”, “Additional Deputy Commissioner, Ri Bhoi District, Nongpoh” should be read.

[F. No. Bhooirashi/RiBhoi/001]

ABHAY JAIN, Dy. Secy.